

Government of Haryana Environment, Forest and Wildlife Department New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी कमांकः 4994—व—5—2023 / 687 2 चण्डीगढ दिनांक २० - १० - २०२७

विषयः

Diversion of 0.0074 Ha. of forest land to proposed New Retail Outlet of IOC ltd. at Village Sasouli on Workshop Road to Sasouli Road (WML) under Forest Division & Distt. Yamunanagar, Haryana.

(Online Proposal No. FP/HR/Approach/144571/2021)

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिरयाणा पंचकूला की सिफारिश के दृष्टिगत मुख्य वन उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा IOCL PANIPAT DIVISIONAL OFFICE के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव 0.0074 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें कोई भी वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति में पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजैन्सी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी:—

कं०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	39676
2	Barbed Wire Fencing Charges	7935
3	नैट प्रेजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	7088
	कुल	54699

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Bir Tapu RF पर 100 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अवर सचिव

कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।



Full Title of the Project: Diversion of 0.0074 ha of forest land to proposed New Retail Outlet of IOC Ltd at Village Sasouli on workshop Road to Sasouli road (WML), Under Forest Division and District Yamunanagar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/144571/2021

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18. Recommendation of the State
Government (Adverse
comments made by any officer
or authority in Part-II or PartIII or Part-IV above should be
specifically commented upon)

Recommended for approval.

Date: 20-10-23

Place: Chandigarh

Signature (

Name: Dr. T.P Singh,

Secretary to Govt. of Haryana, Forest & Wildlife Department

Secretary to Govt. of Haryana,

Office Seal: Forest Department